

INSPECTION REPORT

IN OA 58/2021 (CZ)

Ramesh Nathani

VS

State of MP and Ors

DATE OF INSPECTION- 30.09.2021

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन

-: निरीक्षण प्रतिवेदन :-

विषय - सीटी सेंटर टाउनशीप, मंदसौर का निरीक्षण बाबत ।

संदर्भ - माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक-58/2021 के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक-58/2021 के परिपालन में दिनांक 30.09.2021 को सीटी सेंटर टाउनशीप, सर्वे क्रमांक-52 ग्राम जग्गाखेड़ी, संजीत रोड, मंदसौर जिला मंदसौर (म.प्र.) का संयुक्त निरीक्षण किया गया । निरीक्षण दौरान सीटी सेंटर टाउनशीप के कालोनीनाईजर श्री अनूपसिंह पिता श्री रामकुमार सिंह भदौरिया उपस्थित थे । निरीक्षण दौरान श्री अनूपसिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक-52 रकबा 4.60 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर की रजिस्ट्रीकरण एवं स्टॉम्प विभाग में रजिस्ट्री की गई है, जिसकी प्रति संलग्नक-1 अनुसार संलग्न है तथा कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच (म.प्र.), से प्राप्त अनुमति की प्रति संलग्नक-2 अनुसार संलग्न है तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर जिला मंदसौर से "सीटी सेंटर टाउनशीप" आयासीय अभिन्धा (प्लानिंग) हेतु अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्नक-3 अनुसार संलग्न है । निरीक्षण दौरान उक्त स्थल पर कालोनीनाईजर द्वारा सी.सी. रोड का निर्माण कार्य किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य निर्माण किया जाना नहीं पाया गया । निरीक्षण के समय कालोनीनाईजर को एस.टी.पी. के शीघ्र निर्माण एवं बोर्ड से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये जाने बाबत ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु निर्देश दिए गए, जिसका उनके द्वारा म. प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑनलाईन स्थापना सम्मति हेतु आवेदन एवं एस.टी.पी. के निर्माण किये जाने के संबंध में प्लानिंग कार्य शुरू करने के पूर्व किए जाने हेतु स्वीकृति दी गई ।


निरीक्षण दौरान श्री अनूपसिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि श्री अनिल पिता श्री प्रहलाद दास द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में पुलिस थाना वाय.डी.नगर मंदसौर जिला मंदसौर से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी मांगी गई जिसके परिपेक्ष्य में पुलिस थाना वाय.डी.नगर मंदसौर जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत जानकारी में श्री अनिल पिता श्री प्रहलाद दास नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया, प्राप्त जानकारी की प्रति संलग्नक-4 अनुसार संलग्न है ।




माननीय एन.जी.टी. में दायर प्रकरण क्रमांक-58/2021 के संबंध में श्री अनूप भदौरिया द्वारा बताया गया कि आवेदक श्री रमेश नाथानी के विरुद्ध कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में थाना प्रभारी, पुलिस थाना वाय.डी.नगर मंदसौर जिला मंदसौर में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने बाबत सूचना पत्र की प्रति संलग्नक-5 अनुसार संलग्न है एवं निरीक्षण दौरान लिए गए फोटोग्राफस संलग्नक-6 अनुसार संलग्न है ।

माननीय एन.जी.टी. में दायर प्रकरण क्रमांक-58/2021 में आवेदक श्री रमेश नाथानी द्वारा तालाब से मिट्टी खोदने का जिक्र किया गया । जबकि निरीक्षण दौरान टाउनशीप के आसपास किसी भी प्रकार का तालाब नहीं देखा गया यद्यपि टाउनशीप की बाउण्ड्रीवाल के समीप जल का एकत्रिकरण पाया गया जिसके परिपेक्ष्य में श्री अनूपसिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि उक्त जल बारीश का होने के कारण उसे ग्राम पंचायत द्वारा एक रिचार्ज पिट में एकत्र किया गया है । साथ ही टाउनशीप के बाहर बाउण्ड्रीवाल के समीप एक नाला बहता हुआ जरूर पाया गया इसके अतिरिक्त अन्य कोई जल स्रोत नहीं पाया गया ।

अतः संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कृपया संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(एच.के.तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन


(विहारी सिंह)
एस.डी.एम.
अनुविभागीय अधिकारी
(उपखण्ड) मन्दसौर



संलग्नक - 1

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र	
पंजीकरण का विवरण	
पंजीकरण संख्या	MP249392020A1404425
पंजीकरण की तिथि	16/07/2020
पंजीयन प्रमाणपत्र की दिनांक	17/07/2020
कर्ता का पंजीयन संख्या	15665909 89
पंजीयन संख्या (पंजीयक)	15666000
पंजीयन संख्या (पंजीयक)	169980
पंजीयन संख्या (पंजीयक)	1018290
पंजीयक का नाम	MUKESH BAGHEL
पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय मंदसौर



खरीदार - स्वयं


अनूपसिंह भदौरिया
रामकुमार सिंह भदौरिया
जिनेन्द्र विहार कॉलोनी ग्राम जग्गाखेड़ी, तहसील व जिला मंदसौर

ATTESTED
18.8.20
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Nal Abadi, Mandasaur (M.P.)

विक्रेता - स्वयं

पार्वती आय
श्री अमृतराज जी आय
आर.कामाक्षी रोड, हजारी रोड, मंदसौर 49000, मंदसौर, मध्य प्रदेश, भारत

पति का नाम



ATTESTED

Pushpa Upadhyay
पंजीयक
मंदसौर
उप पंजीयक के हस्ताक्षर


ATTESTED

Digitally signed
by MUKESH
BAGHEL
Date: 2020.07.17
12:19:51 IST

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Nal Abadi, Mandasaur (M.P.)

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Nal Abadi, Mandasaur (M.P.)

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र
ई स्टाम्प विवरण

01012404072020011997

1018290

783300

156660

0

गैर न्यायिक

04/07/2020 20:04:25

jyoti sanmukhani/SP012443806201500893

37 Hajari Nagar Kamtekri Opp Amba Palace Mandasaur मन्दसौर मन्दसौर

नगर पालिका ड्यूटी (रुपए) 0

सूचना नंदा (रुपए)

78330

डीड विवरण

हस्तांतरण-पत्र

हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है जिसके लंबे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या एट के गढ़ है - उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संबन्धवार मूल्य या बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभाय शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत :
sale deed

पहले पक्ष के विवरण

पार्वती आर्य

कालकामाता रोड, हजारी रोड, मन्दसौर म0प्र0

1

दूसरे पक्ष के विवरण

अनूपसिंह भदौरिया

जिनन्द विहार कॉलोनी, ग्राम जग्गाखेडी, तहसील 3 जिला मंदसौर


1



ATTESTED

ATTESTED

18.8.2020
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mand Abadi, Mandasaur (M.P.)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

- दस्तावेज विक्रय पत्र कृषि भूमि :-

दस्तावेज विक्रय पत्र कृषि भूमि सर्वे नम्बर 52 रकबा 4.600 हेक्टर सिंचित भूमि, स्थित ग्राम जग्गाखेडी, मन्दासरी हल्का नं 28, तहसील व जिला मन्दासरी म0प्र0 मे स्थित होकर विक्रय की जा रही भूमि राज्य/जिला मार्ग/प्रधानमंत्री डामर रोड/संजीत रोड से 154 मीटर लगभग दूर स्थित है। जिसका भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग 1 व 2 क्रमांक एल क्रमांक एम.एन.75110 है। भूमि स्वअर्जित है। विक्रित भूमि मे कोई किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है, विक्रित भूमि मे 1 नीम, 1 खेजडी, 5 शीशम के वृक्ष स्थित हैं, इसके अतिरक्त विक्रित भूमि पर कोई फलदार या गैरफलदार वृक्ष, पौधे आदि, स्थित नहीं है। विक्रित भूमि मे स्थित कुआँ विक्रय मे शामिल है। विक्रित भूमि कच्चे रास्ते पर स्थित है।

विक्रय मूल्य 1,56,66,000/- अक्षरी एक करोड छप्पन लाख छान्छ हजार रूपया

विक्रेता का नाम व पता:-

पार्वती आर्य पिता श्री अमृतराम जी आर्य, उम्र- 67 वर्ष,
निवासी-कानकामाता रोड, हजारी रोड, मन्दासरी म0प्र0
पेन कार्ड नम्बर ए.डी.वी.पी.ए.2046 ई.

क्रेता का नाम व पता:-

अनूपसिंह पिता श्री रामकुमारसिंह जी भदौरिया, उम्र-47 वर्ष,
निवासी-जिनेन्द्र विहार कॉलोनी, ग्राम जग्गाखेडी, तहसील व जिला मन्दासरी म0प्र0
पेन कार्ड नम्बर ए.एच.एच.पी.वी.9496 के.

विक्रयधन राशि पाने का प्रकार:-

संपूर्ण विक्रयधन राशि रूपये 1,56,66,000/- अक्षरी एक करोड छप्पन लाख छान्छ हजार रूपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक निम्नानुसार प्राप्त हो रही है:-

ए- राशि 20,00,000/- बीस लाख रूपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 001607 दिनांक 01/07/2020, म0प्र0ग्रामीण बैंक, शाखा मन्दासरी के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

बी- राशि 10,00,000/- दस लाख रूपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 001605 दिनांक 02/07/2020, म0प्र0ग्रामीण बैंक, शाखा मन्दासरी के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

सी- राशि 3,00,000/- तैरह लाख रूपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587841 दिनांक



ATTESTED

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
N/A Abadi, Mandasari (M.P.)

MP249392020A1404425 | 01012404072020011997



ATTESTED
18-8-2020

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
N/A Abadi, Mandasari (M.P.)

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



04/07/2020, कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

डी- राशि 15,00,000/-पन्द्रह लाख रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587842 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

ई- राशि 15,00,000/-पन्द्रह लाख रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587843 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

एफ- राशि 15,00,000/-पन्द्रह लाख रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587844 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

जी- राशि 15,00,000/-पन्द्रह लाख रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587845 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

एच- राशि 15,00,000/-पन्द्रह लाख रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587846 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

आई- राशि 20,00,000/-बीस लाख रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587847 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है।

जे-राशि 17,48,505/-सत्रह लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पाँच रुपये विक्रेता को क्रेता से जर्जे चेक क्रमांक 587848 कार्पोरेशन बैंक, शाखा मन्दसौर के माध्यम से प्राप्त हो रही है। राशि रुपये 1,17,495/- एक लाख सत्रह हजार चार सौ पिट्याणु रुपये टी.डी.एस.की राशि का भुगतान क्रेता द्वारा पृथक से आयकर विभाग में विक्रेता के नाम से जर्जे चालान के माध्यम से किया गया है, जो कि उक्त टी.डी.एस.की राशि विक्रय में समायोजित है। उक्त चेको की राशि का भुगतान बैंक से प्राप्त होने के पश्चात विक्रयधन पेटे कोई राशि लेना बाकी नहीं रहेगी।




जो कि, मुझ विक्रेता के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य का एक कृषि खाता क्रमांक 375/2018-19, जिसमें कुल भूमि सर्वे नम्बर 02 कुल रकबा 7.530 हेक्टर, सिंचित भूमि, लगान 52.14 रुपये, स्थित ग्राम जगगाखेड़ी, पटवारी हल्का नम्बर 28, राजस्व निरीक्षक मंडल वृत्त 1, तहसील व जिला मन्दसौर म0प्र0 में स्थित है, उक्त खाते की भूमि हर प्रकार के रहन, भार, बोझ, वाद-विवाद आदि से सर्वथा मुक्त खाते की होकर उक्त भूमि को विक्रेता को कहीं भी रहन, बय, अन्तरण, विक्रय आदि करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि विक्रेता मालिक व काबिज चला आ रही हूँ, जिसमें मुझ विक्रेता के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा आदि निहित नहीं है। जो कि राजस्व अभिलेख में मुझ विक्रेता के नाम से दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि आसन की किसी योजना के लिये अधिगृहित की जाना प्रस्तावित नहीं है, न ही उक्त भूमि के विक्रय पर कोई रोक ही आरोपित है, न ही उक्त भूमि किसी न्यायालय में जमानत आदि में ही है, न ही उक्त भूमि पूर्व में किसी को मौखिक या लिखित दान आदि में ही दे रखी है, न ही उक्त भूमि के संबंध में किसी न्यायालय आदि में कोई

ATTESTED

P. N. P. M. P.
Advocate & Notary
Mandisaur (M.P.)

ATTESTED

P. N. P. M. P.
Advocate & Notary
Mandisaur (M.P.)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश



प्रकरण, वाद-विवाद ही लबित है, जिस पर मैं विक्रेता निर्विवादित रूप से मालिक व काबिज चली आ रही हूँ। मुझ विक्रेता द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का आज दिनांक के पूर्व किसी अन्य को विक्रय/दान/विभाजन/करार या अन्य किसी तरह से विक्रय/अंतरित नहीं किया गया है, न ही पंजीयन करवाया है, न ही क्रांये भूमि किसी तरह रहन/बंधक की गई है।

यह कि, उक्त भूमि मुझ विक्रेता ने अपनी स्वअर्जित आय से जयें रजि. विक्रयपत्र क्रमांक 1ए/768 दिनांक 16/05/1990 को होतीलाल पिता श्री गगाधर जी बाहमण, कृषक ग्राम जग्गाखेडी, हाल मुकाम आगरा यू.पी. से धर्य की थी, जिसका पूर्व का सर्वे नम्बर 134/7,74 था, तथा वर्तमान नया सर्वे नम्बर 52 राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिस पर विधिवत् राजस्व अभिलेख में मुझ विक्रेता के नाम का नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है। जिस पर मैं विक्रेता ही मालिक व काबिज चली आ रही हूँ, जिसमें मुझ विक्रेता के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा आदि निहित नहीं है।

यह कि, मुझ विक्रेता को अपने पारिवारिक खर्च एवं अन्य वेध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त खाते में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 52 रकबा 4.600 हेक्टर, को उपरोक्त क्रेता अनूपसिंह पिता श्री रामकुमारसिंह जी भदौरिया, निवासी-जिनेन्द विहार कॉलोनी, ग्राम जग्गाखेडी, तहसील व जिला मन्दासौर म0प्र0 को बिल एवज 1,56,66,000/- अक्षरी एक करोड़ छप्पन लाख छंछठ हजार रूपय में विक्रय करतई कर संपूर्ण विक्रयधन राशि उपरोक्तानुसार समक्ष गवाहान जयें चेक प्राप्त कर की जा रही है, उक्त चेको का भुगतान बैंक से प्राप्त होने के पश्चात विक्रयधन पेटे कोई राशि लेना बाकी नहीं रहेगी। मुझ विक्रेता ने विक्रित भूमि का मालिकाना हैसियत से वास्तविक भौतिक कब्जा भी क्रेता को सौंप दिया है, तथा मुझ विक्रेता ने अपना समस्त प्रकार का दखल सदैव के लिये हटा लिया है, अब भविष्य में विक्रित भूमि का उपयोग व उपयोग क्रेता अपनी सुविधानुसार व इच्छानुसार करे, व राजस्व अभिलेख में व अन्य शासकीय अभिलेखों में अपने नाम का नामान्तरण करवा लेवे, जिसमें मुझ विक्रेता या मेरे वारिसान को कोई उन्न आपत्ति नहीं होगी, न ही भविष्य में कोई उन्न आपत्ति मान्य ही होगी। विक्रित भूमि सर्वे नम्बर 52 रकबा 4.600 हेक्टर की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व में :- शासकीय भूमि नाला सर्वे नम्बर 147,

पश्चिम में :- कच्चा रास्ता बाद भूमि सर्वे नम्बर 53 विक्रेता की भूमि व सर्वे नम्बर 43, 47, 49, 51, 52 की भूमि,

उत्तर में :- शासकीय भूमि नाला सर्वे नम्बर 147,

दक्षिण में :- शासकीय भूमि,

यह कि, जो-जो हक, अधिकार व मार्गाधिकार, सुखाधिकार विक्रयशुदा भूमि पर मुझ विक्रेता को प्राप्त है, वे तमाम हक व अधिकार व सुखाधिकार व मार्गाधिकार आज से क्रेता को बदस्तुर प्राप्त रहेंगे। विक्रित भूमि में आने जाने का रास्ता सर्वे नम्बर 54 व 53 के पूर्व दिशा में स्थित कच्चे रास्ते से होकर विक्रित भूमि पर आया जाता है, उक्त रास्ते का उपयोग अब क्रेता व क्रेता से नवीन स्वत्व गृहण करने वाले क्रेता भी भविष्य में बदस्तुर कर सकेंगे, जिसमें विक्रेता या उसके वारिसान को कोई उन्न आपत्ति नहीं होगी, विक्रित भूमि से क्रेता अपने वाहन, कार, जीप, ट्रैक्टर-ट्राली आदि ला व ले जा सकेंगे। जिसमें मुझ विक्रेता या मेरे वारिसान को या अन्य किसी का कोई उन्न आपत्ति नहीं होगी।




ATTESTED

18-8-2020
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Abadi, Mandla, M.P.

ATTESTED

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Abadi, Mandla, M.P.



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

यह कि, भूमि की बिक्री से म.प्र. कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 या म0प्र0 भू0राजस्व संहिता की धारा 165 का एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22 क का कोई उल्लंघन नहीं होता है। विक्रय की जा रही भूमि किसी देवस्थान, भूदान या शासकीय पट्टे आदि की नहीं है।

यह कि, विक्रित भूमि पर आज दिनांक तक का किसी प्रकार का शासकीय अट्टे शासकीय, बैंक, सोसायटी आदि का किसी प्रकार का कुछ भी बकाया नहीं है, न ही कोई लगान टैक्स आदि ही बकाया है, अगर कुछ बकाया हुआ तो आज दिनांक तक की अदायगी का दायित्व विक्रेता का रहेगा व आज के बाद हरकिस्मी लगान अदायगी का दायित्व क्रेता का रहेगा।

यह कि, विक्रय शुदा भूमि मुझ विक्रेता के स्वत्व की चूटि के कारण या अन्य किसी वैधानिक कारण से या अन्य किसी दायित्वारी के कारण क्रेता के कब्जे से निकल जावे या क्रेता के नाम का नामान्तरण न हो सके, तो क्रेता को हक व अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धन अलावा खर्च व सुद मुझ विक्रेता व मेरी हरकिस्मी चल-अचल संपत्ति मे से वसूल कर लेवे, जिसमें मुझ विक्रेता को या मेरे वारिसान को किसी प्रकार की कोई उन्न या आपत्ति नहीं होगी, न ही कोई उन्न आपत्ति मान्य ही होगी।

यह कि, विक्रय मूल्य 1,56,66,000/- अक्षरी एक करोड छप्पन लाख छंछठ हजार रूपये होने से 0.75 प्रतिशत टी.डी.एस.की राशि 1,17,495/- एक लाख सत्रह हजार चार सौ पिच्याणु रूपये जयें चालान क्रमांक 00430 दिनांक 04/07/2019 कापोरेशन बैंक मे विक्रेता के नाम से क्रेता के द्वारा जमा करवाई गई है। जो कि उक्त टी.डी.एस.की राशि विक्रयधन मे समायोजित मानी जावेगी।

अतः सदर विक्रय पत्र मुझ विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित, स्थिर बुद्धि, बिना किसी लालच व दबाव के, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी आग्रह अनुग्रह के, स्वरू गवाहान के लिख दिया जो सही सनद रहे, वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक:- 04/07/2020 मंदसौर,

नोट:- इस दस्तावेज का संपूर्ण उपरोक्त विवरण व दृष्टान्त हम उभयपक्षो ने अच्छी प्रकार से पढकर, सुनकर, समझ लिया है, तथा सही होने पर हमने हमारे द्वारा इस लेख के अंत मे जारी ईस्टाम्प कोड पर अपने हस्ताक्षर अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, राजी मर्जी के गवाहान की उपस्थिति मे व गवाहान ने भी हमारी उपस्थिति मे अपने हस्ताक्षर किये है, जो इस लेख का एक अंग माना जाकर हमे स्वीकार है। हम उभयपक्षो द्वारा उपलब्ध कराये गये आई.डी.पुफ, राजस्व अभिलेख, भूमि के फोटो ग्राफ अपलोड किये गये है, जो कि सही है।



ATTESTED

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Old Abadi, Mandasaur (M.P.)



ATTESTED

Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Old Abadi, Mandasaur (M.P.)

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलक्षक

संपत्ति आईडी	24129202004576405
संपत्ति का प्रकार	कृषि भूमि
संपत्ति का सीमा चिन्ह :	--
संपत्ति का पता :	ग्राम जमुगाखेडी, तहसील ब जिला मन्दसौर पटवारी हल्का नम्बर 28
विकास खण्ड (विकास खंड) :	--
राजस्व निरीक्षक वृत्त :	--
वे आउट का विवरण :	--
नजूल / शीट क्रमांक :	--
खण्ड क्रमांक :	--
खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण	


खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
2	4.60	52.14	क्रमांक N75 110	शासकीय भूमि नाला सर्वे नं 147	शासकीय भूमि	शासकीय भूमि नाला सर्वे नम्बर 147	कच्चा रास्ता बाट सर्वे नं 53,43,47,49,51,54



ATTESTED

(Signature)
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mal Abadi, Mandasaur (M.P.)

ATTESTED
(Signature)
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mal Abadi, Mandasaur (M.P.)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



मध्य प्रदेश

जिला	मंदसौर
तहसील	मन्दसौर
क्षेत्र प्रकार	ग्राम - क्षेत्र
एक क्षेत्र प्रकार	नान प्लानिंग क्षेत्र
पटवारी हलका / गांव	28
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी	जग्गाखेडी मंदसौर
क्या एक से अधिक क्रेता है?	नहीं
क्या क्रेता एक ही परिवार के हैं?	नहीं
क्रेताओं की संख्या	0
क्या आप अपने हिस्से का खुलासा करना चाहते हैं?	नहीं
क्या कृषि भूमि पर पेड़ हैं?	हाँ

संपत्ति 1 : अव्यपवर्तित क्षेत्र का विवरण (हेक्टेयर)

कुल क्षेत्रफल	असिंचित एक फसली भूमि का कुल क्षेत्रफल	असिंचित दो फसली भूमि का कुल क्षेत्रफल	सिंचित भूमि का क्षेत्रफल
0.0	0	0	4.6

क्या कृषि भूमि पर कोई निर्माण है? नहीं

वृक्ष का नाम	वृक्ष की संख्या
भारती-साल, शीशम, साज, अन्य	7

कुल मुद्रांक एवं छूट		
छूट मुद्रांक शुल्क (₹)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (₹)
कुल देय शुल्क (₹)	1018290.0	कुल देय पंजीयन शुल्क
सिंचित क्षेत्र (₹)		15666000



ATTESTED
[Signature]
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mal Abadi, Mandasaur (M.P.)

ATTESTED
8/2/20
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mal Abadi, Mandasaur (M.P.)

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मैं इस दस्तावेज के संघ. पृष्ठा के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के प्रारंभिकी 17893055 एवम
S-स्टाम्प कोड 01012404072C20011997 सहित, एतद् द्वाया अभिप्रेषणित एवं पुष्टि करते हूँ,
तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को विश्पादित भी करते हूँ।

प्राथम पक्षकार/पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

प्रांती आर्य पिता श्री अमृतलाल जी आर्य, उम्र- 67 वर्ष,
निवासी-आलकागाता रोड, हजारी रोड, गन्दासौर 49900

द्वितीय पक्षकार/पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

अनुपसिंह पिता श्री रामकुमारसिंह जी मदीरिया, उम्र-47 वर्ष,
निवासी-जिनेन्द्र विहार कॉलोनी, ग्राम जग्गाखेडी, तहसील व जिला गन्दासौर 49900

अन्य पक्षकार/पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :


गवाह 1 का नाम
आरिफ पिता शहादत अली,
पता राजीव नगर, गन्दासौर 49900
हस्ताक्षर
आई.टी.का टाईप तथा नम्बर
आधार कार्ड नम्बर 4956 8989 5765
उम्र-25 वर्ष,
नोट-मुझ विकेला कृषि भूमि सव्ये नम्बर 52 रकबा 4.60 हेक्टर भूमि, स्थित ग्राम जग्गाखेडी, पटवारी हस्की,
नम्बर 28, तहसील व जिला गन्दासौर 49900 भूमि को चंता को विषय की गई है।

गवाह 2 का नाम
अर्जुनसिंह पिता श्री अनुपसिंह जी मदीरिया,
पता जिनेन्द्र विहार,ग्राम जग्गाखेडी, गन्दासौर
हस्ताक्षर
आई.टी.का टाईप तथा नम्बर
आधार कार्ड नम्बर 5384 4390 9184
उम्र-24 वर्ष,







ATTESTED
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mandasaur (M.P.)

ATTESTED
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mandasaur (M.P.)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश




ATTESTED

[Signature]
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mrid Abadi, Mandasaur (M.P.)

ATTESTED

[Signature]
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Mrid Abadi, Mandasaur (M.P.)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

रजिस्ट्री शाखा कायागम कलेक्टर
मंडल मंडल सं. १०००




ग्राम - जवगा रेवडी
प. सं. - ११
तहसील - मंडसौर
जिला - मंडसौर
खसम - १/४००
सं. - १०००-१६



अधिकृत प्रतिकल्पि

हउ कापेस्ट
मंडसौर जिला मंडल सं. १०००




20/3/2020
26/3/2020

20/3/2020
20/3/2020
20/3/2020
20/3/2020
20/3/2020



ATTESTED
Pushpa Upadhyay
Advocate & Notary
Abadi, Mandlaur (M.P.)



कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच (म.प्र.)

क्रमांक
प्रति,

/नगानि/एलपी/2021

नीमच, दिनांक

अनुदिभागीय अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड—मंदसौर

जिला मंदसौर (म. प्र.)

ग्राम जग्गाखेडी तहसील मंदसौर जिला मंदसौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 52 रकबा 4.60 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय प्रयोजन "सिटी सेंटर टाउन शीप" हेतु अभिन्यास अनुमोदन वायत।

आपका पत्र क्रमांक 2774/उपखण्ड/2020 मंदसौर, दिनांक 15/12/2020 एवं आवेदक का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 16 में प्रस्तुत दिनांक 12/01/2021.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न सत्यापित दस्तावेजों के अनुसार यथावर्णित ग्राम जग्गाखेडी तहसील मंदसौर जिला मंदसौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 52 रकबा 4.60 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय प्रयोजन "सिटी सेंटर टाउन शीप" हेतु अभिन्यास अनुमोदन चाहा गया है।

प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र का गठन होकर सम्मिलित है जिसका वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन के पश्चात मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 का प्रकाशन दिनांक 11/12/2020 में होने से विषयांकित भूमि मिश्रित भू उपयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट है। मिश्रित भू उपयोग के अन्तर्गत आवासीय गतिविधियां मान्य होने से विषयांकित भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रिकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम-1999 संशोधित नियम 2014 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत निम्नलिखित निर्बंधनों एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु "सिटी सेंटर टाउन शीप" आवासीय अभिन्यास अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

01. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्थाओं से अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959।
 2. मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रिकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम-1999 संशोधित नियम 2014।
 3. नजूल अधिकारी मंदसौर
02. अन्य किसी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।
03. संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार विषयांकित स्थल पर वैधानिक पहुँच संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार 12.00 मीटर चौड़ा उपलब्ध हो रहा है। अतः मार्गाधिकार की भूमि में किसी भी प्रकार का विकास निर्माण मान्य नहीं होगा।
04. मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रिकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम-1999 संशोधित नियम 2014 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजि. क्रमांक 1937/2010 दिनांक 27/07/2020 के अनुसार अन्य सभी नियमों का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।
05. आवेदक/भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत खसरा-अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी।
06. संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार आवासीय अभिन्यास के अंतर्गत निर्मित होने वाले भवन के चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र एवं आवृत क्षेत्र अधिकतम अभिन्यास मानचित्र में दर्शाए अनुसार मान्य होंगे। तथा भवन



की जेंचाई तथा फर्शीक्षेत्रानुपात म. प्र. भूमि विकास नियम-2012 के अनुसार मान्य होगा। मार्गाधिकार एवं सीमांत खुले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 3.4.2012 के अनुसार म. प्र. विद्युत प्रदाय संहिता-2004 (म.प्र. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कोड-2004 अनुसार आवासीय कॉलोनी/वाणिज्यिक/बहुउपभोक्ता परिसरों के लिये अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदक/भूस्वामी बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौंपेगा तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहाँ तक संभव हो पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन यदि आवश्यक हो तो स्थापित किया जा.गा होगा। जिसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।

07. कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तें नियम-1999 में निर्दिष्ट प्रावधानोनुसार विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात स्थल पर दिकारत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भू-स्वामी/विक्रेता द्वारा रजिस्टर विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन कराया जाना आवश्यक होगा। सीमांकन अनुसार यदि भूमि का क्षेत्रफल/सीमा में यदि कोई भिन्नता आती है, तो आवेदक/भू-स्वामी को पुनः सीमांकित अभिन्यास अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत स्वीकृत कराना होगा।
08. आवेदक द्वारा चयनित विकल्प अनुसार म. प्र. पंचायत राज (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तें) नियम-1999 के संशोधित नियम-2014 के अंतर्गत नियम 11,12,13 के अनुसार आवेदक/कालोनाईजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विकसीत भूखण्ड छोड़ने का विकल्प चयन किया गया है। कुल विकसित भूखण्डों का 6 प्रतिशत आरक्षित किये गये हैं निम्न आय वर्ग हेतु 8 भूखण्ड एवं कमजोर आय वर्ग हेतु 13 भूखण्ड छोड़े गये हैं, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया जावेगा व चयनित विकल्प पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।
09. स्थल पर किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित मानको तथा मापदण्डों के अनुसार विकास/भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही स्थल पर विकास/निर्माण कार्य किया जावेगा।
10. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के प्रावधानों अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करना होगा, तथा स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखा जावे एवं यदि कोई वृक्ष मार्गों की संरचना में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे हटाने के पूर्व कलेक्टर मंदसौर से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, साथ ही म. प्र. शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण करना होगा।
11. भवनों का निर्माण म. प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम 88 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत भूकम्प अवरोधी तकनीकी से करना होगा।
12. संलग्न आवासीय अभिन्यास मानचित्र में प्रस्तावीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरन्तरता को सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों को गेट अथवा वाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे। पहुँच मार्ग की समुचित व्यवस्था नियमानुसार की जाना आवश्यक होगी।
13. आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के गंदे पानी की निकासी, जल मल संवहन की व्यवस्था, पीने के पानी की पाईप लाईन एवं टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ग्राम पंचायत के निर्देशन में निर्धारित मानको व मापदण्डों के अनुसार उनकी देखरेख में करना होगा।
14. आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के कचरे के संग्रहण/निपटान की समुचित व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्धारित स्थानों पर की जाना सुनिश्चित करना होगा।

सामुदायिक सेवा/सुविधाओं तथा सेप्टिक टैंक, इत्यादि का पृथक से प्रावधान करना आवश्यक होगा।
तथा संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी।

विषयांकित भूमि से विद्युत लाईन होकर गुजर रही है, विद्युत लाईन विस्थापन के पश्चात ही विद्युत लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड पर विकास/विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करवाया जावेगा। आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर में विद्युत लाईन/ट्रांसफार्मर की व्यवस्था म.प्र. विद्युत मंडल के नियमों के तहत उनकी देखरेख में करना आवश्यक होगा।

17. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधान अनुसार दर्पा/छत के पानी की ड्रैनेजिंग प्रणाली की व्यवस्था अपनाई जाना आवश्यक होगा।
18. आवेदक द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50-52 का पालन सुनिश्चित किया जावे। तत्पश्चात् ही आवेदक स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।
19. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम- 84 (1) परिशिष्ट ड-1 ड-2 के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था आवेदक को स्वयं के परिसर में करना होगा।
20. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
21. म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा तीन वर्ष की समयानधि के लिये प्रवृत्त रहेगी।
22. भू-स्वामी द्वारा आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर का संपूर्ण विकास/निर्माण निर्धारित मानकों व गापदण्डों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में पूर्ण करना होगा।
23. यह अनुज्ञा केवल आवासीय अभिन्यास प्रयोजन हेतु दी गई है। जिसका अन्य उपयोग हेतु भूमि का उपविभाजन एवं भूमि उपयोग परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तथा किसी भी प्रकार से निर्मित भवन को प्रकोष्ठों में विभक्त कर विक्रय नहीं किया जावेगा, यदि भू-स्वामियों द्वारा भवन को प्रकोष्ठों में विभक्त कर विक्रय किया जाना पाया जावेगा तो भू-स्वामियों के विरुद्ध म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अंतर्गत निर्मित (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम-1998 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। तथा अवैध रूप से निर्मित भवन प्रकोष्ठ/उपविभाजन किये जाने संबंधी प्रकरण तैयार कर भारतीय दण्ड संहिता के तहत भू-स्वामियों के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक भू-स्वामियों की मानी जावेगी।
24. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी 5X4 फुट साईज बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
25. इस अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे, भू-स्वामित्व संबंधी कोई भी वाद-विवाद उत्पन्न होने पर स्वयं भूमि स्वामी जिम्मेदार होंगे एवं यह अनुज्ञा स्वयंमेव ही प्रभाव शून्य मानी जावेगी। तथा यह अनुज्ञा अहस्तारणीय होगी। व इस अनुमोदित मानचित्र को किसी भी न्यायालय में स्वामित्व दस्तावेज स्वरूप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। यह केवल नियोजन अनुज्ञा है।
26. संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार खुला क्षेत्र/बगीचे का विकास करना होगा व वायर फेन्सींग से सुरक्षित रखना होगा, इसका अन्य उपयोग वर्जित होगा। एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संबंधित विभाग से पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

27. समय-समय पर प्रचलित नियमों तथा शासन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अनुमोदित आवासीय अभिन्यास के विपरीत किए गए विकास कार्य एवं गलत जानकारी दिए जाने पर तथा वैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर या पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत प्रतिसंहत (रिहोक) कर दी जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदकगण को रहेगी।

संलग्न:- एक मानचित्र।

प्र. उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच म.प्र.

नीमच, दिनांक 30-01-2021

पृ. क्रमांक 157 / नग्रानि/एल.पी./2021,

प्रतिलिपि :-

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जग्गाखेटी तहसील एवं जिला मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवेदक कार्यवाही हेतु।
2. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय मंदसौर की ओर स्वीकृति के अनुरूप भूखण्डों/भवनों के विक्रय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक यंत्री मध्यप्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मंदसौर की ओर सूचनार्थ।
4. आवेदक कॉलोनाईजर श्री अनुपसिंह पिता श्री रामकुमारसिंह भदौरिया जिला जितेन्द्र विहार मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संलग्न:- एक मानचित्र।

प्र. उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच म.प्र.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, मंदसौर जिला मंदसौर म.प्र.

क्रमांक 24/सीडर-1/2021

मंदसौर, दिनांक 15/6/2021

// संशोधित कॉलोनी विकास अनुमति //

प्रति,

आवेदक श्री अनुप सिंह पिता श्री रामकुमारसिंह भदौरिया
निवासी जिनेन्द्र विहार मंदसौर म.प्र.
(कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 01/2020)

विषय:- कॉलोनाईजर टाइटल क्रमांक 01/2020 के तहत कॉलोनी स्थापना एवं विकास/विकास की अनुमति दावत।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 23/02/2021. एवं अनुमति क्रमांक 332-23/सीडर-1/2021 दिनांक 24/02/2021.

-0-

उपरोक्त विषयातर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र द्वारा कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 01/2020 के अन्तर्गत भूमि पर आवासीय कॉलोनी स्थापना एवं विकास हेतु इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 152/अ-2/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 19/8/2020 से ग्राम जग्गाखेड़ी तहसील मंदसौर में स्थित भूमि सर्वे क. 52/1 रकबा 4.60 में से रकबा 3.0 हेक्टर पर व्यपवर्तन आदेश पारित किया गया जिस पर संदर्भित आवेदन पत्र से कॉलोनी विकास की अनुमति चाही गयी जो संदर्भित पत्र से जारी की गई थी। अब निम्नानुसार संशोधन के साथ जारी की जाती है-

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 153/एलपी/न.ग्रानि./2021 दिनांक 30/1/2021 से अनुमोदित अभिन्यास पर निम्नानुसार कॉलोनी विकास की अनुमति प्रदत्त की जाती है-

- 1- आवेदक कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है जिसका प्रमाण पत्र क्रमांक 01/2021 वैध है।
- 2- आवेदित विकसित की जाने वाली भूमि ग्राम जग्गाखेड़ी तहसील दलोदा भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1999 संशोधित 2014 के अंतर्गत जिला पंचायत मंदसौर में रूपये 30,000/- जमा किये गये जिसकी पुष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर द्वारा उनके पत्र क्रमांक पंचा.सेल/2021/1549 दिनांक 23/02/2021 से पुष्टि की गई।
- 3- आवेदन पत्र के संलग्न भूमि दस्तावेज जैसे खसरा नकल, ऋण पुस्तिका आदि प्रस्तुत किये गये हैं।
- 4- आवेदन पत्र में इस आशय की घोषणा की गई है कि आवेदक को किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।
- 5- इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 152/अ-2/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 19/08/2022 से आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की गयी।
- 6- उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच के पत्र क्रमांक 153/भू.परि/नग्रानि/20 दिनांक 30/01/2021 से आवासीय अभिन्यास अनुमोदित किया गया।
- 7- आवेदक ने आवेदन पत्र में मध्यप्रदेश ग्राम स्वरोजगार (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन)

अनुविभागीय अधिकारी
(उपखण्ड) मंदसौर

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त शर्तों के विकास की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक/कॉलोनाईजर को निम्नानुसार अधिनियम/ नियम/अधिनियम संबंधित अधिकारियों तथा संस्थाओं से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा इन नियमों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

- 1- म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्बन्ध तथा शर्तों) नियम 1999 एवं संशोधित नियम 2014
- 2- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59
- 3- म.प्र. ग्राम पंचायत अधिनियम 1956
- 4- ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994)
- 5- नजूल अधिकारी मंदसौर

2. आवेदक/कॉलोनाईजर द्वारा विकास शुल्क की राशि रुपये 50,000/- पचास हजार केवल /- जिला पंचायत मंदसौर के संप्रुल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता क्रमांक 18697055 में जमा किये गये जिसकी पुष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर द्वारा उनके पत्र क्रमांक पंचा.सेल/2021/1549 दिनांक 23/02/2021 से पुष्टि की गई।

उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच के द्वारा अनुमोदित मानचित्र एवं दी गई शर्तों का अक्षरतः पालन करना होगा।

3. आवेदक/कॉलोनाईजर को कॉलोनी विकास/निर्माण के पूर्व भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नईदिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 801 (ई) रविशंकर नगर भोपाल से आवश्यक होने पर अनापत्ति लिया जाना आवश्यक होगा।

4. मध्यप्रदेश पंचायत राज (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 संशोधित नियम 2014 के अन्तर्गत नियम 11,12,13 के अनुसार आवेदक/कॉलोनाईजर द्वारा आश्रय निधि एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत/स्थानीय शासन में राशि रुपये 15,34,500/- (पन्द्रह लाख चौतीस हजार पांच सौ केवल) जमा किया जा चुका है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर द्वारा उनके पत्र क्रमांक पंचा.सेल/2021/1549 दिनांक 23/02/2021 से पुष्टि की गई।

5. आवेदक/कॉलोनाईजर को उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच के द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति/अभिमत एवं इस न्यायालय के द्वारा व्यपवर्तन आदेश में उल्लेखित शर्तों/दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदक/कॉलोनाईजर को विकसीत की जा रही कॉलोनी के कूल भूखण्डों का 25 प्रतिशत भूखण्ड ग्राम पंचायत में बंधक रखना होगा तथा बंधक प्लॉट को नक्शे में लालरखाही से दर्शाना होगा। साथ ही विहित इन भूखण्डों का उप पंजीयक के समक्ष लिखित भी निष्पादन कराना होगा।

7. आवेदक/कॉलोनाईजर को विकास की अनुमति के साथ ही कूल 75 प्रतिशत भूखण्ड विक्रय की अनुमति भी प्रदाय की जाती है।

8. इस न्यायालय द्वारा जारी समय-समय पर आदेश/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9. इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

10. आवेदक/कॉलोनाईजर के द्वारा उपरोक्त शर्तों का एवं आदेशों/निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति निरस्त की जावेगी एवं आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उपखण्ड मंदसौर
(उपखण्ड) मंदसौर




पृ.क्रमांक 925/रीडर/2021
प्रतिनिधि:-

मंदसौर, दिनांक 15/08/2021



- 1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर
उप संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश निमच.
जिला पंजीयक मंदसौर / तहसीलदार मंदसौर.
अधीक्षक व्यवर्तन / भू-अभिलेख मंदसौर म.प्र.
तहसीलदार मंदसौर.
ग्राम पंचायत जग्गाखेड़ी तह. मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु ।


अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
(उपखण्ड) मन्दसौर

संलग्नक - 4

कार्यालय पुलिस थाना वायडीनगर मंदसौर जिला मंदसौर(म.प्र.)

क्रमांक /21
प्रति,

दिनांक 11.08.2021

श्री अनुप सिंह भदोरिया

निवासी - जिनेन्द्र विहार जग्गाखेडी मंदसौर मो.9425185263

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 संबंधी आवेदन पत्र के संबध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे लेख है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक अनिल दास के द्वारा दिए गए आवेदन की जांच से संबधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति चाही गई है। उक्त जानकारी आपको थाना पर उपस्थित होने पर दि गई।


थाना प्रभारी
थाना वाय. डी. नगर
जिला-मन्दसौर (म.प्र.)
फोन-07422-256223

पुलिस थाना वायडी नगर, जिला मन्दसौर, (म.प्र.)

क्रमांक/शिकायत / 168 ए /2021

दिनांक- 26.05.21

प्रति.

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला मन्दसौर (म. प्र.)

olc

द्वारा- श्रीमान CSP महोदय, मंदसौर जिला मंदसौर।
विषय- आवेदक अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डींग के पास जिला अनूपपुर के दिये गये आवेदन पत्र पर जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।
सन्दर्भ- श्रीमान पु. अ. महोदय मंदसौर के जनता शिकायत क्रं. 168/2021 दिनांक 06.04.21 के पालन में।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के पालन में जाँच प्रतिवेदन निम्नानुसार है -

क्र	विषय	विवरण
01	शिकायत का रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जशि. 168/2021 दिनांक 06.04.2021
02	स्रोत:-(ए) एकलमस्ती, (बी) मंत्रीगण, (सी) महिला आयोग, (डी) मुख्यमंत्री कार्यालय, (ई) पिछड़ा वर्ग आयोग, (एफ) सांसद, (जी) विधायक, (एच) राष्ट्रीय मानव अधिकार, (आई) राज्य मानव अधिकार, (जे) राज्यपाल, (के) शासन, सी.एस. महोदय, (एल) डी.जी.पी.महोदय, (एम) ए.डी.जी.शिगहायत, (एन) जनशिकायत निवारण, (ओ) जन सुनवाई, (पी) अन्य, (क्यू) अनुसूचित जाति आयोग, (आर) अनुसूचित जनजाति आयोग, (एस) अल्पसंख्यक आयोग (पी) अन्य	नोट - उपरोक्त स्रोत अनुसार स्पष्ट टीक लगावे
03	स्थान/ जिला	सिटी क्राउन टाउनशिप कालोनी मंदसौर (म.प्र.)
04	जाँचकर्ता अधिकारी का पद नाम मोबाईल नम्बर व पदस्थापना	उनि. भीमसिंह देवड़ा थाना वायडीनगर जिला मन्दसौर मो. नं. 7049132640
05	शिकायतकर्ता का नाम/पता/मोबाईल नम्बर वर्तमान पदस्थापना	अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डींग के पास जिला अनूपपुर
06	आनावेदक के नाम पते व मोबाईल नम्बर	अनूपसिंह पिता रामकुमार सिंह भदौरिया उम्र 50 वर्ष नि. जिनेन्द्र विहार जग्गाखेड़ी मंदसौर मो.न. 9425185263
07	आवेदन पत्र में लगाये गये आरोपो का विवरण	सिटी सेंटर टाउनशिप कालोनी के निर्माण में अनियमितता करने के संबंध में।
08	आवेदक के कथन लिये गये या नहीं	नहीं
09	अनावेदक के कथन लिये गये या नहीं	हाँ
10	कितने साक्षियों के कथन लिये गये कितनों के कथन नहीं	नहीं
11	यदि अनावेदक शासकीय अधिकारी हे तो सेवा निवृत्ती का दिनांक	नहीं
12	शिकायत के प्रकार	-(अ)जनता विरुद्ध पुलिस (ब) जनता विरुद्ध जनता (स) अनुसूचित जाति विरुद्ध सर्वर्ष

रक्षक प्रतिलिपि

पुलिस थाना वायडीनगर, मन्दसौर
मो. नं - 07422-256223


	(द)अनुचित जन जाति विरुद्ध सवर्ण	
13	प्रकरण पंजीबद्ध की जानकारी	---- निरंक
14	शिकायत पत्र भेजने के पुर्व से अपराध पंजीबद्ध था या बाद मे किया गया।	---- निरंक
15	शिकायत पत्र भेजने के पुर्व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी थी या बाद मे।	नही
16	प्रकरण पंजीबद्ध की जानकारी	---- निरंक
17	क्या नस्तीबद्ध योग्य	हां
18	जांच कर्ता अधिकारी की कार्यवाही	
	<p>आवेदक अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डींग के पास जिला अनूपपुर के आवेदन पत्र का अवलोकन करते आवेदक अनिल द्वारा आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर लेख नहीं किया गया है। शिकायत जांच एवं आवेदक के कथन हेतु आवेदक को तलब करने हेतु आर. पूर्णानंद मिश्रा थाना कोतवाली अनुपपुर जिला अनुपपुर मोबाइल नंबर 8349939990 से संपर्क करते आर. पूर्णानंद मिश्रा द्वारा तलाश करते अनिल अनिल पिता प्रहलाद दास नाम का कोई भी व्यक्ति म.न.82, नई बिल्डिंग शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास जिला अनूपपुर पते पर निवास करना नहीं पाया गया। आर. पूर्णानंद मिश्रा द्वारा उपरोक्त पते के आसपास गहनता के तलाश करते अनिल कुमार पकवासा पिता अमोलदास पकवासा 280/5 वार्ड नंबर 11, PWD आफिस के पीछे चेतना नगर अनूपपुर का रहना पाया गया। जिससे मो.न. 6261415141 पर चर्चा करते बताया मै किसी अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न.82, नई बिल्डिंग शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास जिला अनूपपुर नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तथा ना ही इस नाम का व्यक्ति आसपास कही निवास करता है। मुझे इस शिकायत पत्र के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अनावेदक अनूपसिंह पिता रामकुमार सिंह भदौरिया उम्र 50 वर्ष नि. जिनेन्द्र विहार जग्गाखेड़ी मंदसौर के कथन लेख किये गये। कथन में बताया कि मेरे द्वारा उक्त भूमि पर सिटी सेंटर टाउनशिप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अनियमितता करने के संबंध में किसी अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डींग के पास जिला अनूपपुर के द्वारा शिकायत की गई है। जबकि मैं किसी अनिल पिता प्रहलाद दास नि. अनूपपुर को नहीं जानता हूँ मेरे द्वारा अनिल पिता प्रहलाद दास के नाम से कोई प्लॉट बुकिंग की रसीद नहीं दी गई है। मेरे द्वारा भूमि सर्वे नंबर 52 (पुराना सर्वे नं. 134/774) रकबा 4.600 हैक्टर भूमि पर निर्माणाधीन सिटी सेंटर टाउनशिप कालोनी का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियमन 2012 के समस्त नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है। किसी अनिल दास द्वारा मुझे परेशान करने के लिये मेरे द्वारा निर्माणाधीन सिटी सेंटर टाउनशिप कालोनी के निर्माण कार्य में रुकावट करने के लिये मेरे द्वारा निर्माणाधीन सिटी सेंटर टाउनशिप कालोनी में अनियमितता करने के संबंध में झूठी शिकायत की है।</p>	


सरय प्रसाद

पुलिस थाना मंदसौर, मंदसौर
फोन नं. - 074302-253223

	<p>शिकायत जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि आवेदक अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डींग के पास जिला अनूपपुर नाम का व्यक्ति उपरोक्त पते पर निवास नहीं करना पाया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नाम बदलकर अनावेदक अनूपसिंह को परेशान करने की नियत एवं सिटी सेंटर टाउनशिप कालोनी के निर्माण कार्य में रुकावट करने के लिये सिटी क्राउन टाउनशिप कालोनी में अनियमितता करने के संबंध में झूठी शिकायत की है जाँच से कोई जुर्म दस्तदांजी का घटित होना नहीं पाया गया। आवेदन पत्र नस्तीबद्ध योग्य है। जाँच प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।</p>
18 ए	<p>थाना प्रभारी की टीप एवं पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर</p> <p>आवेदक अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डींग के पास जिला अनूपपुर नाम का व्यक्ति उपरोक्त पते पर निवास नहीं करना पाया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नाम बदलकर अनावेदक अनूपसिंह को परेशान करने की नियत एवं सिटी क्राउन टाउनशिप कालोनी के निर्माण कार्य में रुकावट करने के लिये सिटी क्राउन टाउनशिप कालोनी में अनियमितता करने के संबंध में झूठी शिकायत की है जाँच से कोई जुर्म दस्तदांजी का घटित होना नहीं पाया गया। आवेदन पत्र नस्तीबद्ध योग्य है।</p> <p style="text-align: right;">  थाना प्रभारी थाना बाय. डी. नगर जिला-मन्दासौर (म.प्र.) फोन-07422-256223 </p>
19	<p>अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)की टीप एवं पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर</p>
20	<p>पुलिस अधीक्षक की टीप</p>
21	<p>रेंज पुलिस महानिरीक्षक की टीप यदि आवश्यक हो तो</p>
22	<p>आवेदक को जांच निष्कर्ष से अवगत कराया गया या नहीं</p> <p>हाँ जाँच निष्कर्ष से अवगत कराया गया।</p>

संलग्न -1-मूल आवेदन पत्र -----01 2. कथन ----- 01/3. अन्य दस्तावेज


 सब प्रतिलिपी

पुलिस थाना बाय. डी. नगर, मन्दासौर
 फोन नं. 07422-256223

कथन

दिनांक 26.05.21

थाना - वाय डीनगर

जिला - मंदसौर

ज.शि.- 168/21

नाम:- अनूपसिंह पिता रामकुमार सिंह भदौरिया उम्र 50 वर्ष नि. जिनेन्द्र विहार जग्गाखेड़ी
मंदसौर मो.न. 9630703008

ने कथन पर बताया कि मैं उक्त पते पर रहता हूँ। कालोनाइजर का कार्य करता हूँ। मैंने वर्ष 2020 में ग्राम जग्गाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 52 (पुराना सर्वे नं. 134/774) रकबा 4.600 हैक्टर भूमि भू स्वामी पार्वतीबाई पिता अमृतराम आर्य नि. कालका माता रोड़ मंदसौर से खरीदी थी। उक्त भूमि का माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से निर्णय दिनांक 19.09.16 को भू स्वामी पार्वती बाई के पक्ष में हुआ था। इसके बाद मेरे द्वारा दिनांक 09.06.20 को उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 मंदसौर, मौजा भटवारी के समक्ष करवाया गया। मेरे द्वारा उक्त भूमि पर सिटी प्लानिंग टाउनशिप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अनियमितता करने के संबंध में किसी अनिल पिता प्रहलाद दास नि. म.न. 82, शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग के पास जिला अनूपपुर के द्वारा शिकायत की गई है। जबकि मैं किसी अनिल पिता प्रहलाद दास नि. अनूपपुर को नहीं जानता हूँ मेरे द्वारा अनिल पिता प्रहलाद दास के नाम से कोई प्लानिंग की रसीद नहीं दी गई है। मेरे द्वारा उक्त भूमि पर निर्माणाधीन सिटी प्लानिंग टाउनशिप कालोनी का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियमन 2012 के समस्त नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है। किसी अनिल दास द्वारा मुझे परेशान करने के लिये मेरे द्वारा निर्माणाधीन सिटी प्लानिंग टाउनशिप कालोनी के निर्माण कार्य में रुकावट करने के लिये मेरे द्वारा निर्माणाधीन सिटी प्लानिंग टाउनशिप कालोनी में अनियमितता करने के संबंध में झूठी शिकायत की है। यही मेरा बयान है।



26-5-21

सत्य प्रतिलिपी
मुलिस थाना सशोर्तन नगर, मन्दसौर
फोन नं.- 07522-256223

पंचनामा

01/अ-12/2010

हम पंचान ग्राम जग्गारवडी के होकर यह पंचनामा लिखा देते हैं। श्री आज दिनांक 09/06/202 को आरुडक पार्वतीबाई पिता रामलराम जाति काच नि. मन्दासूर के ग्राम जग्गारवडी स्थित भूमि सर्वे नं. 52 रकबा 4.600 के सीमांकन आवेदन पर पूर्व सूचना उपरान्त राजस्व निरीक्षक द्वारा मन्दासूर परवाली मौजा एवं गांधीत सीमांकन दल सहित पड़ोसी पक्षों व पंचों के मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर रूखाई मैदान का मिलान किया गया तथा आवेदित सर्वे नं. 52 का सीमांकन कर के चतुरसीमा में पत्थर के आरुथाई निशान कापम करवाये। मौके पर किली श्री पक्षा के कब्जा लिमा-दिमा नही गया।

अतः मौके पर पंचनामा लिखा गया। धदा सुना गया। वास एस्तासुर किए गए।

P
9.6.2020
mids

Signature
20.11

Signature

Signature

Signature

गरेन्य

Signature

Signature

डाक्युमेन्टस लिस्ट

1. अनुकरा के पुलिस वेरिफिकेशन का पंचनामा
अजित दास पुलिस के अनुप्रास नही कि
2. पटवारी पंचनामा ज ही जो पता लिखा वो खूना मिला
3. माननीय हाईकोर्ट का आदेश
4. खसरा बी1 पावरी वार्ड के स जी ही बी हेरी लाल को भूमि विकास माना था
5. ट्रेस
6. डायवर्शन रसीद एवं आदेश
7. जिला पंचायत रसीद
8. विक्रय एवं विकास की अनुमति व TNC
9. मारटर प्लान 2011, भुमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार (नियम)
10. म.प्र. भुमि विकास नियम 2012 के पेज न. 105, 50(ख)
11. हमारे द्वारा प्लान सिर्फ एग्रीमेंट पर बेवते है और रजिस्ट्री कराते है।
1000 रु के स्टाम्प रसीद पर प्लान ही बेचते
12. कॉलोनाईजर लाइसेंस की प्रतिलिपि
13. सर्वे क्रमांक 52 की रजिस्ट्री की प्रतिलिपि

⑭ क्रा 52 का निवेदा नीमन अनुप्रास

⑮ इरा

⑯ पावरी वार्ड खसरा बी 1

संलग्नक - 5

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
आपसी नगर थाना,
मन्दासौर

विषय :- कुट रचना कर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के विरुद्ध षडयंत्र करने वाले रमेश पिता अरजीत नाथानी निवासी स्टेशन रोड मन्दासौर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने बाबत।


माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत हैं:-

01. यह कि प्रार्थी अनूपसिंह पिता श्री रामकुमार सिंह भदौरिया जिनेन्द्र विहार कॉलोनी मन्दासौर का निवासी है व कॉलोनीवाइजर होकर कॉलोनी बनाने एवं विकसित करने का कार्य करता है।
02. यह कि प्रार्थी वर्तमान में भूमि प्लॉट नं. 52 ग्राम जग्गाखेड़ी मन्दासौर पर सभी विभागों से अनुमति प्राप्त सिटी सेन्टर कॉलोनी बनाने का कार्य कर रहा है।
03. यह कि कुट रचना कर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के विरुद्ध षडयंत्र करने वाले रमेश पिता अरजीत नाथानी निवासी स्टेशन रोड मन्दासौर ने कई जगह झुठी शिकायत की हैं एवं कई गुप्त लोगों के साथ मिलकर प्रार्थी के विरुद्ध बड़ा षडयंत्र कर रहा है।
04. यह कि प्रार्थी के विरुद्ध असत्य शिकायतकर्ता आरोपी रमेश नाथानी द्वारा सिटी सेन्टर टाउनशीप लान से कुट रचना कर फर्जी रसीद बुक छपवा कर प्रार्थी की कॉलोनी में एक मुखण्ड बुक कागजात बत्ता दिया तथा इस फर्जी रसीद को आधार बना कर एन.जी.टी. (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) केरल भोपाल में असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया हैं, जबकि प्रार्थी की कॉलोनी में रसीद के आधार पर कोई भी मुखण्ड बुक नहीं कराया गया है। सभी मुखण्ड विक्रय अनुबंध के माध्यम से नियमानुसार बुक कराये जा रहे हैं। इस तरह आरोपी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध षडयंत्र किया जा रहा है एवं प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि उपरोक्त मामले की जांच करा कर कुट रचना कर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के विरुद्ध षडयंत्र करने वाले रमेश पिता अरजीत नाथानी निवासी स्टेशन रोड मन्दासौर व इनके गुप्त सहयोगियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें एवं प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें।

दिनांक - 15/08/2021
स्थान - मन्दासौर


प्रार्थी

अनूपसिंह पिता श्री रामकुमार सिंह जी भदौरिया
निवासी-जिनेन्द्र विहार कॉलोनी, संजीत रोड,
मन्दासौर मध्य प्रदेश
मोबाईल नम्बर:-9630703008






GPS Map Camera



Sabakheda, Madhya Pradesh, India
Sanjit Rd, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India
Lat 24.111247
Long 75.082252
30/09/21 06:01 PM



GPS Map Camera



Sabakheda, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India
Lat 24.111565
Long 75.082344
30/09/21 06:02 PM



Sabakheda, Madhya Pradesh, India

Unnamed Road, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India

Lat 24.11149

Long 75.082317

30/09/21 06:02 PM






Sabakheda, Madhya Pradesh, India

Unnamed Road, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India

Lat 24.111565

Long 75.082344

30/09/21 06:03 PM




Rupawali, Madhya Pradesh, India

433H+269 Golden city, Rupawali, Madhya Pradesh 458002, India

Lat 24.101397

Long 75.077358

30/09/21 06:12 PM



Sabakheda, Madhya Pradesh, India

Sanjit Rd, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India


Lat 24.111115

Long 75.083119

30/09/21 06:27 PM



Sabakheda, Madhya Pradesh, India
 Sanjit Rd, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India
 Lat 24.111985
 Long 75.08352
 30/09/21 06:29 PM



Sabakheda, Madhya Pradesh, India
 Sanjit Rd, Sabakheda, Madhya Pradesh 458002, India
 Lat 24.111932
 Long 75.083527
 30/09/21 06:30 PM